संख्या-619/चौवालिस-2/1995

प्रेषक,

श्री रवीन्द्र शंकर माथुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित
शासन के प्रमुख सचिव/सचिव।

लखनऊ : दिनांक 19 मई, 1995

विषय :- उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लि० देहरादून को बन्द किये जाने के फलस्वरूप उसके छटनीशुदा कर्मचारियों/अधिकारियों को सरकारी सेवा हेतु अर्हता एवं अनुमन्यता।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए शासन ने बन्द किये गये उ0प्र0 कार्बाइड केमिकल्स लि0, देहरादून के छटनीशुदा कर्मचारियों/अधिकारियों को उत्तराखण्ड की विशिष्ट स्थिति को देखते हुए अपवाद स्वरूप जो भविष्य में दृष्टान्त नहीं होंगे, निम्नलिखित शर्तों के अधीन निगमों/उपक्रमों की सेवा हेतु अर्हता एवं अनुमन्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है :-

(1) उपक्रमों/निगमों हेतु केवल वे ही कर्मचारी पात्र होंगे, जो दिनांक 1 अक्टूबर, 1986 या उसके पूर्व उ0प्र0 कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लि0, देहरादून की सेवा में नियमित रूप से नियुक्त हुए हों तथा उ0प्र0 कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लि0 के बन्द होने की तिथि तक निरन्तर कार्यरत रहे हों।

(2) लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि के भीतर या बाहर के पदों पर "उपयुक्तता" के आधार पर नियुक्ति हेतु अर्हता मानी जायेगी। ऐसी सेवाओं/पदों हेतु जिनके भर्ती/चयन के निमित्त किसी सेवा-नियमावली कार्यकारी आदेश में कोई प्रक्रिया विद्यमान हो, छटनीशुदा कार्मिकों के विषय में उक्त प्रक्रिया से शिथिलता बरतते हुए "उपयुक्तता" आंकने के लिए अलग से उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 1994 प्रख्यापित की गयी है।

(3) निगमों/उपक्रमों की सेवा में भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, अनुभव तथा आयु विषयक शर्तें पूरा करने वाले उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लि0 के कर्मचारी/अधिकारी ही उक्त सेवायोजन हेतु पात्र होंगे। यदि ऐसे कर्मचारी उ0प्र0 कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लि0 में ऐसे पद पर नियुक्त हुए थे जिनका कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व उस पद के समान है जिस पद के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते थे, तो यह समझा जायेगा कि वे वर्तमान पद के लिए अब अभ्यर्थी हैं और अपनी नियुक्ति के समय उपरोक्त पद के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता पूर्ण करते हैं।

(4) उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लि0 के अधिकारी/कर्मचारी के लिए निगमों/उपक्रमों की सेवा में पद विशेष पर लागू अधिकतम आयु सीमा का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

(5) निगम/उपक्रम की सेवा में लिये जाने वाले दिनांक से निगमों/उपक्रमों के कर्मचारियों पर लागू समस्त नियम जैसे भविष्य निर्वाह निधि, अवकाश, पेंशन आदि उन पर स्वतः लागू होंगे।

(6) उ0प्र0 कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लि0 की सेवा में कार्मिकों को आहरित अन्तिम वेतन का संरक्षण प्रदान किया जायेगा जिसके विषय में वित्त विभाग की सहमति से पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

(7) उक्त सेवायोजन सीधी भर्ती के उपलब्ध पदों के विरुद्ध ही किया जायेगा तथा सम्बन्धित पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों की ज्येष्ठता निर्धारण करने विषयक लागू नीति के अनुसार उक्त सेवायोजन की तिथि से ज्येष्ठता प्रदान की जायेगी।

(8) उ0प्र0 कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लि0 में तैनात समूह "ग" तथा "घ" में जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जायेंगी उन सभी के नाम सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय में एक अलग पूल में उ0प्र0 कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लि0 में उनकी वरिष्ठता क्रम में व्यवस्थित किये जायेंगे और सेवायोजकों से मांग प्राप्त होने पर तद्नुसार नाम प्रेषित किये जायेंगे।

(9) यह नियुक्तियां करते समय आरक्षण सम्बन्धी नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(10) मितव्ययिता के दृष्टिकोण से 5 प्रतिशत पद रिक्त रखे जाने सम्बन्धी प्राविधान इन पर लागू न होंगे।

2-मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त नियुक्तियां शासनादेश सं0 1184/44-2-14/च0सं0/87, दिनांक 30-11-1987 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करने के उपरान्त ही की जायेगी।

भवदीय,
रवीन्द्र शंकर माथुर,
प्रमुख सचिव।

संख्या 619(1)/44-2-95, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त निगमों/उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी।
(2) निगमों/उपक्रमों से सम्बन्धित शासन के समस्त प्रशासकीय अनुभाग।
(3) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1।
(4) उद्योग अनुभाग-4
(5) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ को दस प्रतियों सहित।

आज्ञा से,
देवी प्रसाद साहू,
अनु सचिव।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 49 सा0 प्रशासन-13-12-95-(4374)-500-(इले0टा0/आफसेट)।